राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस)

कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं) राज.

क्रमांकः देवराबाआवि / मेगु / 2022–23 / 75 – 79 दिनांक : 29.08.2022

खुली निविदा सूचना
निविदा प्रपत्र संख्या 01 / 2022-23

राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्सटीटूशनन्स सोसायटी (RREIS)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के नियन्त्रणाधीन देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास सामग्री, सेवाएं एवं उपकरणों की आपूर्ति का कार्य करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013 के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के अधीन जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तगर्त पंजीकृत / प्राधिकृत एवं अनुभवी विनिर्माता, थोक विक्रेता एवं अधिकृत डिलर्स एवं व्यापारिक फर्मों से ई–निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत निम्नानुसार है।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	NIB /UBN CODE	अनुमानित राशि लाखों में	निविदा शुल्क	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं रामय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	धरोहर राशि 2 प्रतिशत (राशि लाखों में)
1.	विद्यालय फर्निचर सामग्री		9.51	1000/-	07.09.2022 प्रा:त 9 बजे	07.09.2022 दोपहर 01 बजे	0.19020
2	रसोई बर्तन		3.00	1000/-	07.09.2022 प्रा:त 9 बजे	07.09.2022 दोपहर 01 बजे	0.6000
3	पलंग गदा, एवं तकिया (फोम)		9.99	1000/-	07.09.2022 प्रा:त 9 बजे	07.09.2022 दोपहर 01 बजे	0.19800
4	जॉब बेसिस सेवाऐं		12.50	1000/-	07.09.2022 प्रा:त 9 बजे	07.09.2022 दोपहर 01 बजे	0.19800

उक्त निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट **http://sppp.raj.nic.in** पर देखा जा सकता है।

प्रधानाचार्य
देव. रा.बा.आ.वि.
मेहाड़ागुर्जरवास

क्रमांकः– देव.रा.बा.आ.वि. / मेहाड़ा गुर्जरवास / निविदा / 2022 / दिनांकः– 29.08.2022

प्रतिलिपिः–निम्नांकितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतु।

1. श्रीमान निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक राईस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भेज कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करवानें का श्रम करावें।
3. कार्यालय नोटिसबोर्ड / उपखण्ड कार्यालय खेतडी नगरपालिका / तहसील कार्यालय / पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. संबंधितफर्म / मैसर्स ....
5. कार्यालय प्रति

प्रधानाचार्य
देव. रा.बा.आ.वि.मेहाड़ागुर्जरवास

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस)

कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास (झुन्झुनू)

निविदा की शर्ते

1. निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://www.sje.rajasthan.gov.in **http://sppp.raj.nic.in याकार्यालय समय में कार्यालय प्रधानाचार्य** देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनू) से दिनांक .... दोपहर 1 बजे तक निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते है। **भरी हुई निविदा दिनांक 01.09.2022 को दोपहर 1 बजे तक कार्यालय प्रधानाचार्य** देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास (झुन्झुनू) मे जमा की जाएगी निविदा दिनांक .... समय 9 बजे से कय समिति एवउपस्थित निविदा दाताओ के समक्ष खोली जाएगी।निर्धारित समय के बाद निविदाओं पर वचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण वस उस दिन अवकाश्क रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर खोली जायेगी।
2. सषर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदाऐं स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
4. फर्म द्वारा आदेष प्राप्त करने की दिनांक से 10 दिवस की अवधि के भीतर सामान सप्लाई करने होगें।
5. **उक्त दरें अनुमोदन की तिथि से 31.03.2023 की अवधि तक प्रमावी रहेंगी। जिसमें परस्पर सहमति से RTPP नियम 2013 के नियम 29 के अनुसार सवृंद्धि की जा सकती है। परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013 के नियम 73(2)(बी) की अक्षरषः से पालना की जावे।**
6. बिड सिक्यूरिटी निविदा की अनुमानित राषि की 2 प्रतिशत राशि एंव निविदा शुल्क राषि के डीडी /बैकर्स चैक एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन चालान की प्रति संलग्न फोटो कॉपी ऑनलाईन निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
7. ऑनलाईन की गयी निविदा के साथ जी.एस.टी. पंजीयन एवं जीएसटी रिटर्न जमा हेतु नवीनतम **GSTR 3B** जो कि दिसम्बर 2021 से पूर्व की न हो तथा टर्नओवर के लिये लगातार गत तीन वर्ष के सी.ए. से प्रमाणित अन्तिम लेखे संलग्न करने होंगे। जिसमें निविदादाता का वार्षिक टर्नऑवर निविदा राशि के बराबर या अधिक होना आवष्यक है। फर्म विवर्जित नही होने का शपथ–पत्र एवं संतोषजनक सामग्री/सेवाएं आपूर्ति करने का केताधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
8. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा–पत्र (एस.आर.–11 में)संलग्न करनी होगी।
9. मैं/हम कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनू) द्वारा जारी की गयी ई–निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से बाध्य होना शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सहमति स्वरूप निविदा के सभी पृष्ठों व उल्लेखित शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित निविदा मान्य नहीं होगी।
11. निविदादाता जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यवसायी होना चाहिए।
12. जी.एस.टी. चुकती प्रमाण–पत्र :– कोई भी निविदादाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, जी.एस.टी. अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत नहीं हैं तो वह निविदा नहीं देगा। जी.एस.टी. पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न जमा हेतु ऑनलाइन **GSTR 3B** जो दिसम्बर 2021 से पूर्व की न हो संलग्न करना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. दरे निर्माण कार्य स्थल (गन्तव्य स्थान) तक, बीएसआर/जी–षिड्यूल में उल्लेखानुसार, एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों (सामग्री की लागत, पैकिंग, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिग, नाप, तोल तथा सभी प्रकार के कर व शुल्को) को शामिल करना होगा।
14. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो विनिर्देषों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि इन शर्तो, विनिर्देषों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आषय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
15. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
16. विनिर्देषः–(I) प्रयुक्त की गयी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देष के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देषों के अनुरूप होंना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। (II) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित मानकों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्री के मामलें में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हो, वहाँ अति उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा।
17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (**Disqualification**) होगी।
18. (I) सुपुर्दगी अवधि– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, विद्यालय द्वारा प्रदाय आदेष करने की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर आदेषानुसार कार्य स्थल पर सामग्री/सेवा की आपूर्ति करेगा अन्यथा बिना किसी सूचना के संवेदक का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिभूति राषि जब्त कर ली जावेगी।
19. (II) यदि कार्यकारी संस्था किन्ही निविदत्त कार्यो को करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में संपादित कराता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
20. आपूर्तिकर्त्ता को प्रधानाचाय के आदेष अनुसार संबन्धित विद्यालय को सामग्री आपूर्ति करनी होगी। इससे भिन्न आईटम का भूगतान नहीं किया जायेगा।
21. बिड सिक्यूरिटी राषि का समपहरण निम्न परिस्थितियों मे किया जायेगा (I) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है। (II) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है। (III) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेष देने के बाद प्रतिभूति राषि जमा नहीं कराता है।
22. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः– (I) सफल निविदादाताओं को आदेष के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर में एक करार पत्र 500 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यो के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिषत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। तथा एस.एस.आई यूनिट के अन्तर्गत पार्ट–II में पजीकृत फर्मो को निविदा के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 3 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी। (II) प्रतिभूति राषि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। (iii) प्रतिभूति राषि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में ही जमा करवानी होगी। (iv) निविदादाता को अनुभव प्रमाण पत्र के संबध में जहा उसने कार्य किया है वहा के सक्षम अधिकारी से संतोषजनक माल सप्लाई का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। कार्यादेष को अनुभव नही माना जायेगा। (2) प्रतिभूति निक्षेप का समर्पहरणः– प्रतिभूति राषि को पूर्ण या आंषिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सर्मपहरण किया जा सकेगाः– (क) जब संविदा के किन्ही निर्बन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो। (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो। सामग्री आपूर्ति आदेष देने की तिथी के 10 दिवस में सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति नहीं करने पर अनुबन्ध को समाप्त कर प्रतिभूति राषि जब्त करने का केताधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा। (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समर्पहरण करने के मामले में 10 दिवस का नोटिस दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राषि का समर्पहरण कर फर्म को विवर्जित कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
23. सामग्री आपूर्ति का आदेष एक साथ न किया जाकर समय–समय पर आवष्यकतानुसार किया जावेगा।
24. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल मे जी.एस.टी. राषि (इनपुट जी.एस.टी. आउटपुट जी.एस.टी. की राषि) को अलग दर्षाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग में जी.एस.टी. राषि जमा कराने का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
25. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, जी.एस.टी., रॉयल्टी एवं इत्यादि अन्य कटौतियां की जावेगी। यदि फर्म द्वारा रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है, तो बिल के साथ रसीद की प्रति सलग्न की जावे। अवैध खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर किसी भी प्रकार दण्ड व हानि के लिये आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
26. क्रय समिति द्वारा स्वीकार की गई निविदा पर 5 प्रतिषत प्रतिभूति राषि जमा का प्रावधान है। जो कि सफल निविदादाता को 3 दिवस मे जमा करानी होगी।
27. निविदादाता को वाणिज्यक कर विभाग मे जी.एस.टी. रिटर्न जमा कराने सम्बन्धी **GSTR 3B** जो दिसम्बर 2021 से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।
28. सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों/सामग्री की मात्रा अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा हो सकती है।
29. किसी भी तरह की मषीनरी जैसे ट्रैक्टर एवं सम्बन्धित अन्य आदि समस्त की चौकीदारी की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी एवं किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
30. भुगतानः–(I) किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नहीं किया जाएगा। (II) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमे परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा। जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देषों के अनुरूप होगा। आपूर्तिकर्त्ता की सामग्री का केता अधिकारी द्वारा आवष्यक होने पर परीक्षण कराया जा सकेगा। परीक्षण शुल्क केता अधिकारी द्वारा वहन किया जावेगा।

(I) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित (10 दिवस) की अवधी के भीतर प्रदाय करेगा। (II) परिसमापित नुकसानीः–परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधी में वृद्धी करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिषतता के आधार पर उन सामानो के मूल्यों के लिए की जाएगी। जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2):

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनाधिक के लिए 5:

(ग) आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7):

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10:

(2) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसान की अधिकतम राषि 10: होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्वी करना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेष दिया है। किन्तु यह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद करेगा।

(5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धी परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

32. वसूलियाँ:–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। प्रदायकर्त्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए मालों की सीमा तक राषि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको बदलता है तो परिसमापित नुकसानों के साथ वसूली उनकी देय राषि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अर्न्तगत कार्यवाही की जाएगी।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा कों संक्षिप्त रूप मे कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विषेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

34. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवष्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्त्ता से अधिक को कार्य की मदों को विस्तारित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगी।

35. यदि संविदा के निर्वचन, आषय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सेल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संवंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

36. समस्त विधिक कार्यवाहियॅा, यदि संस्थित किया जाना आवष्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जिला झुन्झुनू में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नही की जाएगी।

37. **उक्त दरें अनुमोदन की तिथि से 31.03.2023 की अवधि तक प्रमावी रहेंगी। जिसमें परस्पर सहमति से RTPP नियम 2013 के नियम 29 के अनुसार संवृद्धि की जा सकती है** परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013 के नियम 73(2)(बी) की अक्षरषः से पालना की जावे।

38. निविदाओं सम्बन्धी समस्त अधिकार क्रय समिति को होगें जिनका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

39. अन्य समस्त शर्ते राज्य सरकार के उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं समय–समय पर जारी दिषा निर्देषों के अधीन होगी।

40. निविदा प्रकिया के निर्णय से संबंद्व कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेष देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोक सेवकों/संविदा कर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

41. सक्षम स्तर से स्वीकृती मिलने पर ही कार्य आदेष दिये जायेगे।

42. जी–षिड्यूल से 15 प्रतिषत से अधिक कम दर देने पर उसकी 1/2 प्रतिषत राषि अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभुति के रूप में सफल निविदादाता को निविदा अनुमोदन के सात दिवस में सम्बन्धीत **विद्यालय कार्यालय** में जमा करवानी होगी।

43. जी–षिड्युल/**BOQ** मे वर्णित सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो सकती है।

44. निविदादाता द्वारा निविदा अपलोड करने से पहले यह भलीभाति सुनिष्चित कर लिया जावें कि निविदादाता फर्म का निर्माण भवन, सडक एवं दिविध निर्माण सामग्री का व्यापारी होना आवष्यक है अन्यथा उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

45. निविदा शुल्क राशि, बिड सिक्यूरिटी राषि व निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि के डीडी/बैकर्स चैक/ चालान निविदा प्रकाशन तिथि से पूर्व के नही होने चाहिए।

46. **सामग्री/ सेवाए निर्धारित गुणवता मानदण्ड/ मार्का (ISI आदि) के अनुसार होने आवश्यक है। ऐसी सामग्री जिनके लिए मानदण्ड निर्धारित नही है, के सम्बन्ध मे गुणवता जांच रिपोर्ट सामग्री आपूर्ति के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी। इसके अभाव मे सामग्री की आपूर्ति स्वीकार नही की जायेगी।**

47. निविदा सूचना तकनीकी निविदा एंव निविदा की शर्तो में किसी भी प्रकार का संषोधन किया जाता है उसे वेब साईट http://sppp.raj.nic.in पर ही अपलोड किया जायेगा तथा उक्त संषोधन को समाचार पत्रों मे प्रकाषित नही किया जायेगा।

48. निविदा में वर्णित अनुमानित सामग्री राषि के लिए दर अनुबन्ध किया जा रहा है विद्यालय की आवष्यकतानुसार व आरटीपीपी नियमानुसार क्रय की जाने वाली सामग्री कम या अधिक हो सकती है जिसके लिए संवेदक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं करे सकेगा।

मैनें/हमने उक्त शर्ते पढकर समझ ली है एवं इनसे पूर्णतः सहमति है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः– ....

पताः– ....

मोबाईल नम्बरः– ....

एस. आर. प्रारूप 11

निविदादाता की घोषणा

मै / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैने / हमने जिन मालों /स्टोर्स /उपकरणों के लिए निविदा दी है उनका हम /मै बोनाफाईड विनिर्माता /थोक विक्रेता/ सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर/सोल/सैलिंग/विपणन एजेन्ट हूँ ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि हो सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जायेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय पूर्ण पता)

निविदादाता की घोषणा

मै / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि जिस कार्य के लिये निविदा की गई है। उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है पर प्रतूिल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धारोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रदद किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय पूर्ण पता)

निविदादाता /फर्म द्वारा घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि

1. फर्म / संवेदक .... पूर्व में किसी भी विभाग / कार्यालय द्वारा आवेदक तथा उसके भागीदारो में किसी का भी काली सूचि में नाम नही डाला गया है अथवा ठेकेदारो की अनुमोदित सूचि से नाम नही हटाया गया है अथवा निचले वर्ग में पदावनत नही किया गया है अथवा आवेदक के विरूद्व कारोबार नही करने / निलम्बित करने के आदेश पारित नही किये गये है।
2. मै / हम .... किसी भी राजकीय विभाग / कार्यालय मे लोक सेवक / संविदा कार्मिक / कर्मचारी नही हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय पूर्ण पता)

बिडदाता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही होने की घोषणा

मै .... निवासी .... घोषणा करता हूँ कि मै अथवा मेरा नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बधी व पति /पत्नि) कार्य से संबधित पंचायत राज संस्था और उसके किसी स्थायी समिति अथवा उप समिति का सदस्य नही हूँ तथा निर्वाचित जन प्रतिनिधि नही हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय पूर्ण पता)

निविदादाता द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये जाने वाले स्वप्रमाणित फोटो प्रति दस्तावेज –

1. निविदा सूचना भरी हुई तकनीकि निविदा, निविदा की शर्ते हस्ताक्षरित प्रति।
2. निविदा शुल्क, धरोहर राषि की डी.डी. एवं प्रोसेसिंग फीस जमा का चालान की प्रति।
3. जी.एस.टी. पंजियन प्रमाण पत्र।
4. निवादादाता एसआर 11 में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र की प्रति।
5. बोली की शर्ते स्वीकार होने के लिए शर्तो का हस्ताक्षरयुक्त प्रलेख ।
6. पेन कार्ड की फोटो प्रति।
7. नवीनतम जी.एस.टी. जमा की रिटर्न ऑनलाइन जमा करवाने के प्रमाण हेतु **GSTR 3B** की प्रति जो दिसम्बर 2021 पूर्व की न हो संलग्न है।
8. विगत लगातार दो वर्षो में मेरी फर्म का टर्न ऑवर निविदा की अनुमानित राशि के बराबर अथवा अधिक रहा है। टर्न ऑवर के प्रमाण हेतु गत दो गत वर्षो के सी.ए. से प्रमाणित अन्तिम खाते व बैलेंस शीट की प्रति।
9. फर्म को विवर्जित/ब्लैकलिस्ट नही करने का शपथ पत्र 50 रू. के स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित।
10. जन प्रतिनिधि नही होने का प्रमाण पत्र।
11 सन्तोषजनक सामग्री/सेवाएं आपूर्ति करने का केताधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता